| Date of order or proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|---|---|---|
| **25.05.2026** | राज्य द्वारा ए0 डी0 पी0 ओ0।<br>आवेदक सहित अधिवक्ता श्री लाखन सिंह राजपूत उपस्थित।<br>प्रकरण आज दस्तावेज प्रस्तुति हेतु नियत है।<br>थाना सिविल लाईन देवास से अपराध कमांक 229/2026 की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।<br>प्रकरण थाना सिविल लाईन देवास के अपराध कमांक 229/2026 अंतर्गत धारा 119(1), 296(ए), 115(2), 351(3), 324(4) बी.एन.एस. एवं 130/177(3) मो.व्ही. एक्ट में दर्ज है।<br>आवेदन सारतः इस आशय का है कि अभियोगी पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक की मालिकी एवं आधिपत्य की मोटरसायकल पेशन प्रो जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 MP 41 MM 8207 को पुलिस द्वारा जप्त किया गया है। उपरोक्त वाहन आवेदक के दैनिक उपयोग का है। जिसको जप्त कर लिए जाने से आवेदक को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगना संभावित है। उक्त वाहन पुलिस थाना सिविल लाईन में खुले में रखा हुआ है, जिससे देखरेख के अभाव में उसमें खराब होने एवं मूल्य कम होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए उक्त वाहन को आवेदक सुपुर्दगी में प्राप्त करना चाहता है। आवेदक माननीय न्यायालय की शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है। अतः उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया।<br>आवेदन पत्र पर तर्क के आलोक में केस डायरी का अवलोकन किया गया।<br>केस डायरी के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन द्वारा अपराध कमांक 229/2026 अंतर्गत धारा 119(1), 296(ए), 115(2), 351(3), 324(4) बी.एन.एस. एवं 130/177(3) मोटरयान अधिनियम में वाहन मोटरसायकल पेशन प्रो जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 MP 41 MM 8207 को जप्त किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रेशन के परिशीलन से आवेदक उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी होना दर्शित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत बीमा से घ टना के समय वाहन बीमित होना विदित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड से उसकी पहचान सुनिश्चित है। आवेदक द्वारा उक्त वाहन के संबंध में वाहन का बीमा भी प्रस्तुत किया गया है। किसी अन्य व्यक्ति ने वाहन मोटरसायकल पेशन प्रो जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 MP 41 MM 8207 के स्वामित्व का प्राख्यान नहीं किया है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक व वाहन मोटरसायकल पेशन प्रो जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 MP 41 MM 8207 का उचित अभिधारी होना प्रकट है।<br>प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। वाहन के आरक्षी केंद्र में खड़ा रहने से उसके मूल्य में ह्रास होने अथवा उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण के निराकरण होने तक उसे अभिरक्षा में निरूद्ध रखना उचित | |

# Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . . . .

| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|---|---|---|

प्रतीत नहीं है।

फलतः उक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/सुपुर्ददार की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/सुपुर्ददार **50,000/–(पचास हजार) रूपये** का सुपुर्दनामा प्रस्तुत करें तो वाहन निम्नांकित शर्तो के अंतर्गत दी जाए :–

1– आवेदक/सुपुर्ददार जप्तशुदा वाहन के किसी यांत्रिक व बाह्य स्वरूप मे परिवर्तन नहीं करेगा।

2– वह जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी में प्राप्त करने के उपरांत बिना न्यायालीयन अनुज्ञा के किसी के पक्ष में किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने पर स्वयं के व्यय पर जप्तशुदा वाहन को न्यायालय में पेश करेगा, तो प्रकरण में जप्तशुदा वाहन तुरंत सुपुर्दगी में प्रदान किया जावे।

3– रिहाई आदेश पर टीप अंकित की जाए कि वाहन की अन्य प्रकरण में आवश्यकता न होने पर उसकी मैकेनिकल जांच कराये जाने (यदि आवश्यकता हो तो) के उपरांत सुपुर्दगी पर दिया जाए।

आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन के थाना प्रभारी/अन्वेषण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वाहन को सुपुर्दगी पर दिए जाने के पूर्व उसकी चारो दिशाओं से छायाचित्र लेकर, जिससे उसकी विस्तृत पहचान दर्शित हो, धारा–63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के साथ केस डायरी में संलग्न किया जाए और एक प्रति न्यायालय में अविलंब पेश की जाए।

प्रकरण समाप्त।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. में अंकित कर उसे नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

**(अभिजीत सिंह)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवास (म.प्र.)

| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
| --- | --- | --- |
| | **पुनश्च–**<br>आदेश के पालन में आवेदक/सुपुर्दगीदार **जितेन्द्र पिता भारतसिंह चौहान, निवासी–162 त्रिलोक नगर, तह. व जिला देवास म. प्र.** द्वारा आदेशानुसार **वाहन** मोटरसायकल पेशन प्रो जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 MP 41 MM 8207 का **50,000/–(पचास हजार) रूपये** का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किया गया।<br>आवेदक की पहचान अधिवक्ता श्री लाखन सिंह राजपूत द्वारा की गई।<br>वाहन मोटरसायकल पेशन प्रो जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 MP 41 MM 8207 का रिलीज आदेश थाना प्रभारी को जारी हो।<br>बण्डल पत्रक के साथ संलग्न किए जाए।<br>**(अभिजीत सिंह)**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी<br>देवास (म.प्र.) | |